



UPSI120003502014

न्यायालय सिविल जज, (जू०डि०), बिसवां सीतापुर
दीवानी वाद संख्या 323/ 2014

रसूल अहमद बनाम सबाहुल इस्लाम आदि

दिनांक 03.03.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र 29 क पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 29 क

प्रार्थना पत्र 29 क अंतर्गत आदेश XXII नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता इस आशय का दाखिल है कि वाद मे दौरान मुकदमा वादी की मृत्यु दिनांक 13.10.2018 को बीमारी की वजह से हो चुकी है। जिसके 1/1 ता 1/8 विधिक वारिसान हैं। जिनको अभिलेख पर लिये जाने की याचना की गयी है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ती दाखिल नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 29 क अंतर्गत आदेश XXII नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता नियमानुसार स्वीकार किया जाता है। वादपत्र मे अविलंब संशोधन हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 26.03.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवां, सीतापुर
UP2374